ईमेल/अपलोड

**राजस्थान सरकार**
**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग**

पत्र कमांकःएफ 13(8)खा.वि./आवंटन/2019 जयपुर, दिनांक : 31-3-20

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– ''कोविड–19'' के कारण एड्स पीडित व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ग्रीन डायरी के आधार पर निवास पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति बाबत।

प्रसंगः– निदेशक(एड्स), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर के पत्र कमांक एड्स/सीएसटी(42–II)2020/736 दिनांक 27.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेशक(एड्स), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर ने ''कोविड–19'' के कारण एड्स पीडित व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत ग्रीन डायरी के आधार पर निवास (निवास के जितना नजदीक संभव हो सकें) पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने हेतु लिखा है।

अतः प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डानुसार पात्र लाभार्थियों के रूप में चयनित एड्स पीडित व्यक्तियों को राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा उन्हें जारी की गई ग्रीन डायरी के आधार पर निवास (निवास के जितना नजदीक संभव हो सकें) पर खाद्य सामग्री आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

( सुरेश गुप्ता )
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपिः–

निदेशक(एड्स), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर को उनके पत्र कमांक एड्स/सीएसटी(42–II)2020/736 दिनांक 27.03.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

# राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी

## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

क्रमांक : एड्स/सीएसटी (42-II) 2020/ 736 दिनांक 27/03/2020

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं निदेशक,
उपभोक्ता मामलात विभाग,
जयपुर।

विषय :- 'कोविड-19' के कारण एचआईवी के साथ जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों (पीएलएचआईवी) तक 'अन्त्योदय अन्न योजना/खाद्य सुरक्षा योजना' का लाभ पहुंचाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान मे 'कोविड-19' के संक्रमण को रोकने के लिए सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में एचआईवी के साथ जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों (बीपीएल एवं एपीएल) को खाद्य सामग्री हेतु परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त पीएलएचआईवी व्यक्तियों को उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण नियमित रूप से एआरटी की दवा के साथ-साथ स्वस्थ रहने हेतु उचित पोषण की आवश्यकता रहती है। खाद्य सामग्री की प्राप्ति के लिए यदि उन्हे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो उनमें 'कोविड-19' से संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा।

अतः आपके विभाग के अधीन संचालित योजना 'अन्त्योदय अन्न योजना/खाद्य सुरक्षा योजना' के अंतर्गत पी.एल.एच.आई.वी. को ग्रीन डायरी के आधार पर उसके निवास (निवास के जितना नजदीक सम्भव हो सके) खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु राज्य के समस्त जिलो के संबंधित जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित करने का सौहार्द्र करावें।

27/3/2020

(डॉ. आर.पी. डोरिया)
निदेशक (एड्स) एवं
परियोजना निदेशक (RSACS)

क्रमांक : एड्स/सीएसटी (42-II) 2020/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
2. उप महानिदेशक (आईईसी, मैनस्ट्रीमिंग एवं सीएसटी), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
4. जिला क्षय रोग एवं नियंत्रण अधिकारी तथा जिला एचआईवी/एड्स नियंत्रण अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
5. जिला एड्स बचाव एवं नियंत्रण इकाई, जयपुर श्रीगंगानगर, बाड़मेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर।
6. समस्त नोडल अधिकारी, एआरटी सेन्टर/लिंक एआरटी सेन्टर, राजस्थान।
7. स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, विहान कार्यक्रम, एचएलएफपीपीटी, जयपुर।
8. कार्यालय प्रति।

— Sd —

(डॉ. आर.पी. डोरिया)
निदेशक (एड्स) एवं
परियोजना निदेशक (RSACS)

Scanned by CamScanner